Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA
[L.D. Appeal Case No.-84/2024]

Bhagwat Uraon...Appellant.
Versus
Mahesh Uraon & Ors..Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	9.12.2025		

आदेश

यह अपील वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर पूर्णिया द्वारा बेदखली वाद संख्या-08/2023-24 में दिनांक-28.10.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षी संख्या-02 की ओर से जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है।

इस वाद की सुनवाई में उभय पक्ष की ओर से लगातार गई तिथियों में सुनवाई में अभिरूचि नहीं लिये जाने के कारण दिनांक-12.11.2025 को सुनवाई में उभय पक्ष को अगली सुनवाई में अपना बहस/Final Argument करने का अंतिम मौका दिया गया तथा अगली तिथि 25.11.2025 को निर्धारित की गई। इसके बावजूद दिनांक-25.11.2025 को सुनवाई में उभय पक्ष अनुपस्थित रहे। एवं तद्नुसार वाद में दिनांक-12.11.2025 को पारित आदेश के आलोक में दिनांक-25.11.2025 को सुनवाई में आदेश सुरक्षित करते हुए उभय पक्ष को एक सप्ताह के अन्दर लिखित बहस दाखिल करने का समय दिया गया। किसी भी पक्ष की ओर से लिखित बहस दाखिल नहीं किया गया। तदनुसार अभिलेख/कागजातों तथा निम्न न्यायालय के अभिलेख के आधार पर आदेश पारित किया जा रहा है।

प्रश्नगत भूमि का विवरणी निम्नानुसार है :-

अंचल	मौजा/थाना नं0	खाता	खेसरा	रकवा
पूर्णिया पूर्व	अब्दुल्लानगर/100/1	365	1297,1351,1352,1353,1354,1355,1356,1357	1ए.83डी.

अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी संख्या-02 का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है।

अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र, Reply/Rejoinder, निम्न न्यायालय अभिलेख आदि के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि वादी भागवत उराँव की ओर से प्रश्नगत जमीन पर खतियानी रैयत के वंशज होने का दावा किया जा रहा है। जबकि विपक्षी भी खतियानी रैयत के वंशज हैं। वादी की ओर से प्रश्नगत जमीन के Exclusive Legal उत्तराधिकारी होने का प्रमाणिक साक्ष्य उपस्थापित नहीं किया जा सका है।

निम्न न्यायालय के स्तर से उभय पक्ष के अभिकथन के संदर्भ में संगत तथ्यों एवं कानूनी बिन्दुओं की विवेचना करते हुए यथोचित Findings के आधार पर आदेश पारित किया गया है। जो विधिसम्मत है।

अभिलेख के अवलोकन से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि वस्तुतः उभय पक्ष खतियानी रैयत के वंशज हैं। तथा आपसी बटवारा के आधार पर वर्षो से अपने हिस्से की जमीन का शांतिपूर्ण उपभोग कर रहे हैं। तथा यह कि वादी भागवत उराँव की ओर से विपक्षी के हिस्से की जमीन पर दावा करने के उद्येश्य से निम्न न्यायालय में प्रश्नगत बेदखली वाद दायर किया गया। जैसा कि विपक्षी के अभिकथन में अंकित है।

अतः तदनुसार इस अपील वाद को खारिज करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, सदर पूर्णिया/अंचल अधिकारी, पूर्णिया पूर्व को प्रश्नगत जमीन पर Status quo maintain करते हुए

P.

9.12.2025

विपक्षीगण को आवश्यक Legal Protection उपलब्ध कराने का निदेश दिया जाता है। तथा संबंधित थाना के माध्यम से वादी के कार्यकलाप की जाँच कराकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया जाता है।

आदेश की प्रति अनुमंडल पदाधिकारी, सदर पूर्णिया तथा अंचल अधिकारी, पूर्णिया पूर्व को अनुपालन हेतु भेजें।

आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें।

Byck.
09/12/25.
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

लेखापित एवं शुद्धित।
Byck.
09/12/25.
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

आयुक्त न्यायालय
पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया